न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज
स्वत्व वाद संख्या–77/2018

CIS NO.- 625/2018

ललन पासवान एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

तारा देवी.....प्रतिवादी

03.11.2021 उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से एक आवेदन दिनांक 07.11.2019 अंतर्गत आदेश 12 नियम 06 व आदेश 15 नियम 01 के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादिनी की ओर से दिनांक 05.02.2020 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद उनके द्वारा वादपत्र में वर्णित अनुसूचीनुसार भूमि पर अधिकार, स्वत्व व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु लाया गया है। यह कि अंचल अभिलेख सं0–2/1970–71 व भूमि सुधार अभिलेख सं0–138/1970–71 द्वारा वादी संख्या–1 के पिता इंद्रासन मांझी को मद नं0–2 की भूमि व वादी संख्या–2 ता 4 के पिता अमृत मांझी को मद नं0–2क की भूमि रैयती के आधार पर बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया था, जिस पर उनकी जमाबंदी कायम है जिसपर उनके वारिसानों का दखल कब्जा चला आ रहा है। यह कि प्रतिवादिनी के पति प्रित मांझी को भी बिहार सरकार द्वारा विवादित खेसरा में 1 एकड़ 2 डी0 भूमि बंदोबस्त किया गया था जिसका प्रस्तुत वाद से कोई सरोकार नहीं है। यह कि प्रतिवादिनी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर नाजायज दावा किया गया तथा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि को 3 हिस्से में बांटने का आदेश दिया गया जिसके आधार पर प्रतिवादिनी वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास करने लगी, जिस कारण प्रस्तुत वाद दाखिल किया गया। यह कि प्रतिवादिनी द्वारा दाखिल बयान तहरीरी के पारा 10,16,17, व 18 द्वारा वादीगण के दावे को स्वीकार किया गया है, इसलिए प्रस्तुत वाद में अब कोई विवाद्यक नहीं रह गया है तथा वाद जयपत्रित होने योग्य है। यह कि प्रतिवादिनी द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण के पिता के नाम बंदोबस्ती व हकीयत को स्वीकार कर लिया गया है। अतः प्रतिवादिनी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रस्तुत वाद जयपत्रित करने की कृपा की जाय।

इस संबंध में प्रतिवादिनी का कहना है कि वादीगण का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादिनी उपस्थित होकर संघर्ष कर रही है तथा वादीगण गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन देकर वाद को लंबित रखना चाहते हैं। यह कि वादीगण द्वारा अपने आवेदन में जिस भूमि पर दावा किया गया है वह वादपत्र में अन्य वादी के नाम अंकित है। यह कि वादीगण द्वारा वादपत्र के मद नं0–2 में जो चौहदी दी गई है वह सही नहीं है। यह कि प्रतिवादिनी अपने बयान तहरीरी के मद नंबर क में अपनी बंदोबस्ती एवं दखल कब्जे की भूमि का पूरा विवरण दी है, किन्तु वादीगण चालाकी से गलत चौहदी देकर प्रस्तुत वाद दाखिल किए हैं। वादीगण का यह कहना गलत है कि वादपत्र के मद नं0–2 एवं 2क की भूमि पर उनका दखल कब्जा है। यह कि वादीगण भी स्पष्ट रूप से प्रतिवादिनी के पिता के नाम एक एकड़ 2 डी0 भूमि की बंदोबस्ती को स्वीकार किए हैं तथा वादीगण के आवेदन के पारा 3 में जो भी बयान किया गया है वह गलत एवं बेबुनियाद है। यह कि वादीगण प्रतिवादिनी द्वारा दाखिल बयान

तहरीरी के मद नंबर क की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किए तथा अंश भाग से बेदखल भी किए हैं, जिसे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नरकटियागंज के आदेश के विरूद्ध अंचल एवं थाना द्वारा प्रतिवादिनी को उक्त भूमि पर दखल कब्जा दिलाया गया तथा प्रतिवादिनी बयान तहरीरी के किसी भी पारा मे वादीगण का दखल कब्जा व हकीयत स्वीकार नहीं की है, बल्कि प्रतिवादिनी द्वारा अपने पिता एवं उनके भाइयों के नाम जिस केस नंबर के आधार पर बंदोबस्ती की गई है, उस बंदोबस्ती संबंधी केस नंबर को स्वीकार की है। यह कि वादीगण के आवेदन के पारा 4 में बयान किया गया है कि प्रतिवादिनी ने अपने बयान तहरीरी की कंडिका 10, व 16 से 18 में वादीगण के दावे को स्वीकार कर लिया है वह सरासर गलत है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र में वर्णित अनुसूचीनुसार भूमि पर अधिकार, स्वत्व व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु लाया गया है। वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रतिवादिनी द्वारा अपने बयान तहरीरी के पारा 10 एवं 16 से 18 में वादीगण को दावे को स्वीकार किया गया है इसलिए प्रस्तुत वाद में अब कोई विवाद्यक नहीं रह गया है तथा वाद जयपत्रित किया जाय। जबकि प्रतिवादिनी का कहना है कि उसके द्वारा अपने बयान तहरीरी के किसी भी पारा में वादीगण का दखल कब्जा व हकीयत स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि अपने पिता एवं उनके भाइयों के नाम जिस केस नंबर के आधार पर बंदोबस्ती की गई है, उस बंदोबस्ती संबंधी केस नंबर को स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि प्रतिवादिनी द्वारा अपने बयान तहरीरी में वादीगण के दावे को स्वीकार किया गया है, या नहीं, यह विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न हैं, जिसका निस्तारण वाद विचारण के दौरान साक्ष्य द्वारा ही किया जा सकता है जिससे दोनों पक्षों के बीच दावे का गुण–दोष के आधार पर निर्णय पारित किया जा सके। तद्नुसार उक्त मंतव्य के साथ वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन निस्तारित किया जाता है। वास्ते अभिलेख धारा 89 हेतु दिनांक 18.12.21 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)